


Index

- | | |
|---|---------|
| 1. Exemption In Stamp Duty
संख्या-03 / 2018 / 87 / 94-स्टा0नि0-2-2018 / 700(476) / 2017) | Page 3 |
| 2. Exemption From Inspection by Electrical Inspector
(No.273/24-P-3-2018-SA(10)/2018) | Page 6 |
| 3. Exemption In Electricity Duty
(No.272/24-P-3-2018-SA(10)/2018) | Page 8 |
| 4. Exemption From Environmental Clearance and Exemption
from consent / NOC From U.P. Pollution Control Board
संख्या-6 / 2018 / 251 / 55-1099 / 1 / 2018 | Page 10 |
| 5. Exemption From Permission for Construction of Structure
संख्या-303 / 87-अति.ऊ0स्रो0वि0 / 2018 | Page 14 |
| 6. Guidelines For Establishment of Grid Connected Solar
Projects Establishment
संख्या-106 / 87-अति.ऊ0स्रो0वि0 / 2018 | Page 19 |



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग
संख्या-03/2018/87/94-स्टा0 नि0-2-2018/700(476)/2017
लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2018

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (के) अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अनुसूची के स्तम्भ-1 में सुसंगत उपबंध के अधीन, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2017 स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनार्थ विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिये प्रभाय स्टाम्प शुल्क में स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2017 का प्रस्तर तथा खण्ड संख्या	प्रयोजन	छूट की सीमा
1	2	3
प्रस्तर (XV) खण्ड (प)-ख	उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट।	100%

2 इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिये साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि उक्त अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasandes.h.uup.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-03/2018/87/94-स्टा0 नि0-2-2018/700(476)/2017, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वे इसे दिनांक 12-02-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दे और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव

संख्या-03/2018/87/94-स्टा0 नि0-2-2018/700(476)/2017, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एव द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0
6. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
12. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG -2

In pursuance of provision of clause (3) Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.03/2018/97/94-S.R.-2-2018-700(476)/2017, Dated, 12 February, 2018

Notification

Order

No. 03/2018/97/94-S.R.-2-2018-700(476)/2017

Lucknow Dated, 12 February, 2018

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1859) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable for establishing solar energy unit to produce electricity to the extent mentioned in Column 3, for the purpose mentioned in Column 2 of Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2017 under the consistent provision mentioned in Column I of the Schedule below:-

SCHEDULE

Paragraph and clause number of the U.P. Solar Energy Policy-2017	Purpose	Extent of Remission
1	2	3
paragraph (xv) clause (i)-b,	The exemption of stamp Duty for establishing solar energy unit in Uttar Pradesh to produce electricity from solar energy.	100 percent.

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate of the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

By order,
Himanshu kumar
Pramukh Sachiv

-
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG - 3**

No.272/24-P-3-2018-SA(10)/2018

Lucknow. Dated 05 February, 2018

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 273/24-P-3-2018-SA(10)2018, Lucknow Dated 05 February, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS the Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2017 has been approved by the cabinet in its meeting dated 06-12-2017.

AND WHEREAS in para 8.2.3 (iv) of the said policy it has been provided that installation and testing of grid connected roof top solar power plants upto 10 K W shall be exempted from inspection by Electrical Inspector.

NOW THEREFORE in exercise of the power under Regulation 32 of central electricity authority (Measures relating to Safety and Electric supply) Regulation, 2010 and sub section- (1 of section 162 of the electricity act, 2003, the Governor is pleased to direct that the installation and testing of grid connected roof top solar power plants upto 10 KW shall be exempted from inspection by electrical inspector

By order
Alok Kumar
Principal Secretary

No. and Date as above :-

Copy Forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General, Uttar pradesh, Allahabad
2. Secretary, Electricity Regulatory Commission, U.P., Lucknow.
- 3- Principal secretary, Additional Energy Resource Department, Uttar Pradesh Shasan
- 4- Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. / U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, / U.P. jal Vidyut nigam Limited, Lucknow / U.P. Power Transmission Ltd., Lucknow
5. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow / Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Varanasi / Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Meerut / Dakhinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Agra & Kanpur Electricity Supply Company Ltd. (KESCO) Kanpur
6. Officiating Director, Electrical Safety, U.P., Gomti Nagar, Lucknow.
7. Director, Printing & Stationary, Aishbagh , Lucknow along with a copy of English version of the notification No. 273/XXIV-P-3-2018, Dated 05 Febuary, 2018 with the instruction that please send 500 copies to the Government of said Notification after publishing in upcoming issue of legislative appendix, part (4), Sec-(b)

By order
(S.P. SINGH)
Joint Secretary

**UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG - 3**

**No.272/24-P-3-2018-SA(10)/2018
Dated 05 February, 2018**

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 272/24-P-3-2018-SA(10)2018, Lucknow Dated 05 February, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS the Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2017 has been approved by the cabinet in its meeting dated 06-12-2017.

AND WHEARAS it has been provided in para 9. (iii) of the said policy that all new units functional within five years from the date of issuance of the said policy shall be entitled For exemption from electricity duty for a period of ten years.

NOW THEREFORE in exercise of the power under sub section (4)of section-3 of the Uttar Prades Electricity (Duty) Act, 1952 (U.P.: Act no. 33 of 1952) the governor, having regard to the prevailing charges for supply of energy in any area of the state of Uttar Pradesh, the generating capacity of any part, the need to promote industrial production generally is pleased to direct that all new solar energy units operational within five year of the issuance of the said policy shall be entitled for exemption from electricity duty for a period of ten years

By order
Alok Kumar
Principal Secretary

No. and Date as above :-

Copy Forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad
2. Secretary, Electricity Regulatory Commission, U.P., Lucknow.
- 3- Principal secretary, Additional Energy Resource Department, Uttar Pradesh Shasan
- 4- Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. / U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, lucknow, / U.P. jal Vidyut nigam Limited, Lucknow / U.P. Power Transmission Ltd., Lucknow
5. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow / Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Varanasi / Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Meerut / Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited Agra & Kanpur Electricity Supply Company Ltd. (KESCO) Kanpur
6. Officiating Director, Electrical Safety, U.P., Gomti Nagar, Lucknow.
7. Director, Printing & Stationary, Aishbagh , Lucknow along with a copy of English version of the notification No. 273/XXIV-P-3-2018, Dated 05 Febuary, 2018 with the instruction that please send 500 copies to the Government of the said Notification after publishing in upcoming issue of legislative appendix, part (4), Sec-(b)

By order
(S.P. SINGH)
Joint Secretary

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- प्रमुख सचिव
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उ0प्र0शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
- 3- निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0
लखनऊ।
- 4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2018

विषय- सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र सं0-1688(5)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2017, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर सं0-15(ii)-“समस्त सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान है” के संबंध में पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1040/पर्या0/तक0सा/2018, दिनांक 30.01.2018 (प्रति संलग्न) एवं प्रस्तर सं0-15(iii)-“ग्रिड संयोजित पीवी परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति/एन0ओ0सी0 प्राप्त करने से छूट” के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-26144/सी-3/एनओसी-नोडल/2018, दिनांक 19.01.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या: G26 / 44 / सी-3 / एनओसी-नोडल / 2018

दिनांक 19-01-2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की "सौर ऊर्जा नीति-2017" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एतद्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी20434 / सी-3 / एन.ओ.सी.-नोडल / विविध-96 दिनांक 09-6-2015 का अतिक्रमण कर यह आदेश दिया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "सौर ऊर्जा नीति-2017" के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भाँति बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने, की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है:-

1. "सौर ऊर्जा नीति-2017" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) माना जाएगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. "सौर ऊर्जा नीति-2017" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाइन उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जाएगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(रेणुका कुमार)

अध्यक्ष

पृ0 संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकार, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु गार्ड फाइल।
- 5.

(आशीष तिवारी)

सदस्य—सचिव

निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ

पत्रांक— /पर्या०/तक०सा/2018

दिनांक 30 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में उल्लिखित परियोजनाओं के पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर-15 (III) के अनुसार समस्त सौर विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान है, क्योंकि सौर विद्युत उत्पादन परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1533, 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में दिये गये प्राविधानों से आच्छादित नहीं है।

(डॉ० रूपेश कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-1040 /पर्या०/तक०सा/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-1090/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2018, दिनांक 25 जनवरी, 2018 के क्रम में
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4- समस्त अधिकारी, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० (मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय)

(श्रुति शुक्ल)
उप निदेशक

संख्या: 303/87-अति.ऊ0स्रो0वि0/2018

संख्या: 129/8-3-18-26 विविध/18

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30जनवरी, 2018

विशय : सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-190/87-अति.ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 20.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में दिनांक 29.01.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे बैठक आहूत की गयी थी।

2- इस संबंध में बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर-8.2.3 (ii) की प्राविधानित व्यवस्था के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-3.1.1 के बिन्दु संख्या-(xx) में वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुज्ञा से छूट प्राप्त है तथा प्रस्तर-3.5.7 के बिन्दु संख्या-(I) में वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएँ जो 4.5 मी0 से अधिक ऊँचे न हों, को भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं किये जाने का प्राविधान पूर्व से विद्यमान है। भवन उपविधि का संगत उद्धरण संलग्न है।

कृपया उक्त स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या- 129 (1)/8-3-18-26 विविध/18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- (2) अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराने का कष्ट करें।
- (3) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव

अध्याय –3

3.1 भवन निर्माण हेतु अनिवार्यताएं

3.1.1 अनुज्ञा से छूट

- (क) सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग -4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधियों का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, परन्तु विद्यमान भवन का पुर्ननिर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन यथा- कालम, बीम का निर्माण, नई लोड बियरिंग दीवार का निर्माण, नई स्लैब डालना, आदि निहित हो, मे नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग -4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन अनिवार्य होगा : -
- (i) ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बंद करना जो किसी दूसरे की सम्पत्ति की ओर न खुलते हो।
 - (ii) आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजों का प्राविधान।
 - (iii) न्यूनतम मापदण्डों का उल्लंघन न होने पर आन्तरिक विभाजन।
 - (iiii) बागवानी।
 - (v) सफेदी करना।
 - (vi) रंगाई करना।
 - (vii) पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर पुनः टाईल्स लगाना या छत का निर्माण करना (परन्तु मेजनाइन तल की छत का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा)
 - (viii) पुनः फर्श निर्माण।
 - (ix) प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत।
 - (x) अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनशेड का निर्माण।
 - (xi) अपने भूखण्ड के सीमांकन उपरान्त सड़क की मध्य रेखा से अधिकतम 1.65 मीटर उंची बाउण्ड्री वाल का निर्माण, परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/ले आउट प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के अर्न्तगत आने वाली भूमि पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (xii) मल-नालियों, मुख्य गलियों, पाइपो, केबिलो या अन्य संयंत्र का निरीक्षण या उसके नवीनीकरण तथा मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा किन्ही सेवाओं कि क्रियान्वयन किए जाने के लिये निर्माण कार्य।
 - (xiii) छत/टेरेस, बालकनी/ब्रामदे में पैरापेट का निर्माण।
 - (xiv) भवन उपविधियों में प्राविधानित मानकों के अनुसार पोर्टिको/पोर्च का निर्माण।
 - (xv) सेप्टिक टैंक /सोक पिट का निर्माण।
 - (xvi) हैण्ड पम्प लगाना।
 - (xvii) निर्माण कार्य हेतु अस्थाई वाटर टैंक का निर्माण।
 - (xviii) प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था, का पुर्ननिमाण।
 - (xix) वर्षा जल के संचयन, संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग हेतु आवश्यक संरचनाओं (भूमिगत वाटर

- टैंक सहित) का निर्माण।
- (xx) वैकल्पिक सौर उर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं को निर्माण।
- 3.5.5 जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को अतिरिक्त एफ. ए. आर.
- (i) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों जो घोषित जैव प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं एवं जिनके ले-आउट प्लान उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरण उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं को महायोजना/जोनल प्लान/भवन उपविधि/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य एफ. ए. आर. का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ. ए. आर. अनुमन्य होगा।
- (ii) उपर्युक्त प्रस्तर-(प) में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों जिनके ले-आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं, के अर्न्तगत स्थित इकाइयों को जनसंख्या घनत्व, अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़के, जलापूर्ति, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता तथा पर्यावरण सम्बंधी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त "केस टू केस" के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य एफ. ए. आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त एफ. ए. आर. अनुमन्य होगा।
- (iii) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को उपरोक्तानुसार अतिरिक्त एफ. ए. आर. की सुविधा सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने पर अनुमन्य होगी।
- 3.5.5 जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को अतिरिक्त एफ. ए. आर.
- साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सामान्यतः एफ. ए. आर. से 50 प्रतिशत अधिक एफ. ए. आर. अनुमन्य होगा जिसकी सीमा यथास्थित आवासीय/कार्यालय (जिसका भी एफ. ए. आर. अधिक हो) हेतु अनुमन्य एफ. ए. आर. तक होगी। परन्तु अधिकतम भू-आच्छादन महायोजना/भवन उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 3.5.6 भू-आच्छादन से छूट
- (i) आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छज्जे, बालकनी तथा पोर्च (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।
- (ii) व्यवसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्गमीटर तक का अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम, जनरेटर रूम इलैक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।
- 3.5.7 ऊँचाई का अपवाद
- भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क अथवा आस-पास के औसत भूतल से नापी जाएगी तथा निम्नलिखित सहायक संरचनाएं भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं की जाएगी –
- (i) छत पर टैंक और उनकी सहायक संरचनाएं ऊँचाई में 2.0 मीटर से अधिक न हों, वैकल्पिक सौर उर्जा प्राप्त करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएं, संवातन, एयर

कण्डीशनिंग उपकरण, लिफ्ट रूम जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँचा न हो और ऐसे अन्य सर्विस उपकरण, सीढ़ी जो ममटी से आच्छादित हो और 3.0 मीटर से अधिक ऊँची न हो, चिमनी, पैरापेट वाल और भवन के सौन्दर्यवृद्धि हेतु संरचनाएं जो 1.5 मी0 से अधिक ऊँची न हों, बशर्ते बरसाती को सम्मिलित करते हुऐ ऐसी संरचनाओ का कुल क्षेत्रफल भवन की उस छत जिस पर निर्माण है, के क्षेत्रफल के एक तिहाई से अधिक न हो ।

- (ii) एरोड्रोम के निकट स्थित भवनों की ऊँचाई भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशो के अनुसार होगी ।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ

दिनांक : 16 जनवरी, 2018

विषय : प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1668/87-अति.ऊ.स्रो.वि.) / 2017, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को निर्गत किया जा चुका है। अतः उक्त नीति के तहत ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध निम्नांकित दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. प्रदेश के अन्दर ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत वितरण कम्पनी/थर्ड पार्टी/सामूहिक कैपटिव उपयोगार्थ विक्रय किया जायेगा।
2. सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत प्रथम 2000 मेगावाट क्षमता की यूटीलिटी स्केल सौर परियोजनाओं से उत्पादित 100 प्रतिशत ऊर्जा यूपीपीसीएल द्वारा डिस्कॉम के माध्यम से क्रय की जायेगी तथा इन परियोजनाओं को **must run status** दिया जायेगा।
3. (अ) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य में एकीकृत सोलर पार्क की स्थापना की जायेगी। सोलर पार्क न्यूनतम 100 मेगावाट क्षमता की सन्निहित भूमि पर स्थापित किये जायेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क की स्थापना पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सोलर पार्क की न्यूनतम निर्धारित क्षमता नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क हेतु निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी।

(ब) भारत सरकार की वित्तीय सहायता से ग्रीन कोरीडोर निर्मित किया जायेगा। भारत सरकार से जिस सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी अवशेष धनराशि सौर पार्क उपभोगी विकासकर्ताओं से कनेक्टिविटी चार्ज के रूप में सोलर पार्क के जीवनकाल में प्रतिवर्ष प्रति मेगावाट प्राप्त की जायेगी।

4. (अ) सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न प्रणालियों द्वारा विकसित सोलर पार्कों की स्थापना को समर्थन प्रदान किया जायेगा :
- (अ-1) केन्द्र / राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्पेशल परपज वेहिकल (Special Purpose Vehicle) (SPV) द्वारा स्थापित एवं प्रबन्धित सोलर पार्क ।
- (अ-2) सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया (सेकी) एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं प्रबन्धित सोलर पार्क ।
- (अ-3) राज्य सरकार की ओर से सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया (सेकी) द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर स्थापित एवं प्रबन्धित सोलर पार्क ।
- 4 (ब) सार्वजनिक क्षेत्र में उक्त प्रणाली से स्थापित सोलर पार्क के अन्दर स्थल / परियोजना आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), के दिशा-निर्देशानुसार एवं निर्धारित स्टैंडर्ड बिडिंग गाईडलाईन्स के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से किया जायेगा ।
- 4 (स). राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सोलर पार्क की स्थापना / विकास हेतु भूमि पट्टा अथवा उपयोग करने का अधिकार पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं निकटतम पारिषद सब स्टेशन से सोलर पार्क की कनेक्टिविटी हेतु पारिषद तंत्र निर्माण की पूर्ण लागत व्यय वहन की जायेगी ।
- 4 (द) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सोलर पार्क की स्थापना / विकास के लिए ग्रिड नेटवर्क के सुदृणीकरण हेतु आवश्यकता होने पर वित्तीय सहायत उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को बजटीय प्राविधान कराते हुए शासन से प्राप्त कर प्रदान की जायेगी ।
- 4 (ई). ऊर्जा पार्क से उत्पादित ऊर्जा को यूपीपीसीएल / विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत क्रय करने का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्पादित ऊर्जा आवश्यक रूप से क्रय की जायेगी ।
5. (अ) सोलर पार्क की स्थापना किसी निजी कम्पनी द्वारा किये जाने की स्थिति में स्थापित सोलर पार्क की कनेक्टिविटी के लिए ग्रिड नेटवर्क के सुदृणीकरण हेतु आवश्यकता होने पर वित्तीय सहायता उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को बजटीय प्राविधान कराते हुए शासन से प्राप्त कर उपलब्ध कराते हुए करायी जायेगी ।
5. (ब) निजी कम्पनी द्वारा स्थापित सोलर पार्क से उत्पादित 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा को क्रय करने का प्रस्ताव यूपीपीसीएल / डिस्कॉम द्वारा दिया जायेगा, जिसको निजी सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा स्वीकार करते हुए उत्पादित ऊर्जा यूपीपीसीएल / डिस्कॉम को विक्रय किया जायेगा अन्यथा पूर्णतया उत्पादित ऊर्जा को सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा तृतीय पक्ष को विक्रय करने की अनुमन्यता होगी ।
6. उक्त सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश में विद्युत वितरण लाईसेंसिज को सौर पावर विक्रय हेतु वृहद स्टैंड

अलोन सौर पावर परियोजना की स्थापना का आवंटन यूपीनेडा द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), के दिशा-निर्देशानुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा किया जायेगा। न्यूनतम 05 मेगावाट क्षमता की स्थापना और आवंटन ही किया जायेगा। बिड में प्राप्त टैरिफ उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा। अर्ह पाये गये बिडर्स के साथ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 वर्ष का पावर क्रय अनुबन्ध (पीपीए) निश्पादित किया जायेगा।

7. (अ) राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्वल क्षेत्र में यूपीपीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी को सोलर पावर विक्रय करने हेतु स्थापित की जाने वाली समस्त वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजनाओं से फीड इन सबस्टेशन तक ग्रिड संयोजन अर्थात् इन्टर कनेक्शन प्वाइन्ट तक पारेषण तंत्र यथा लाईन, बे इत्यादि का निर्माण यूपीपीटीसीएल अथवा विद्युत वितरण कम्पनी, जिसके भी क्षेत्र में आती है द्वारा किया जायेगा। यूपीपीटीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्वल क्षेत्र में सबस्टेशन तक कनेक्टीविटी उपलब्ध कराने हेतु पारेषण लाईन जो निर्माण की जायेगी की आंकलित लागत उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके सापेक्ष निम्नानुसार क्षमता के अनुसार उल्लेखित किलोमीटर हेतु पारेषण लाईन निर्माण लागत यूपीनेडा द्वारा बजटीय प्राविधान से धनराशि प्राप्त करते हुए यूपीपीटीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी को एक किश्त में हस्तांतरण की जायेगी। कार्यपूर्ण होने के उपरांत यूपीपीटीसीएल/डिस्कॉम द्वारा धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जायेगा।

(i) 05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर

(ii) 10 मेगावाट से अधिक 50 मेगावाट क्षमता तक के लिए 15 किलोमीटर

(iii) 50 मेगावाट से क्षमता से अधिक क्षमता की परियोजना के लिए 20 किलोमीटर

बे, सबस्टेशन एवं पारेषण लाईन की अतिरिक्त लम्बाई यदि हो तो आंकलित लागत परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना विकासकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि एसटीयू/डिस्कॉम में जमा करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अवशेष शुल्क परियोजना विकासकर्ता द्वारा यूपीपीईआरसी के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन के अनुसार देय होगी।

7. (ब) उक्त 7 (अ) में प्रयोजन हेतु आंकलित व्यय के अनुरूप वांछित धनराशि "सौर स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना" की मद में बजट प्राविधान से पूंजीगत व्यय के रूप में फण्ड प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित यूपीपीटीसीएल/डिस्कॉम को यूपीनेडा द्वारा हस्तांतरित की जायेगी।

8. प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित की गयी नहरों के ऊपर सौर पावर परियोजना की स्थापना की जायेगी। इन सौर पावर परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुसार आमंत्रित की गयी प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।

9. नीति के तहत प्रदेश में स्थापित वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजना से उत्पादित सोलर पावर का निम्नवत विक्रय किया जायेगा :-

(अ) राज्यांतरिक कैपटिव उपयोग अथवा तृतीय पक्ष को विक्रय किये जाने पर व्हीलिंगचार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। जबकि वितरण/पारेषण लाईन हानि एवं कास सब्सिडी सरचार्ज, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग रेग्यूलेशन समय-समय पर संशोधित के अनुरूप लागू होगी।

(ब) अन्तरराज्यीय तृतीय पक्ष को विक्रय किये जाने पर राज्यान्तरिक ट्रांसमिशन तंत्र के लिए कास सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

(स) उक्त स्थापित सोलर पावर वृहद परियोजनाओं से उत्पादित सोलर पावर तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैपिटव उपयोग हेतु मीटरिंग एसटीयू/डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेन्सी सबस्टेशन स्तर पर की जायेगी।

10. नीति के अन्तर्गत सरकारी संस्थानों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठानों के कार्यालय भवनों में कैपिटव उपयोगार्थ रूफटॉप ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित कराये जायेंगे। इन संस्थानों पर थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) [Renewable Energy Supply Company] द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना करायी जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता एवं थर्ड पार्टी (रेस्को) के मध्य पावर परचेज अनुबन्ध (पीपीए) तथा उपभोक्ता एवं विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य नेट मीटरिंग इन्टरकनेक्शन अनुबन्ध किया जायेगा।

11. यूपीनेडा ग्रिड संयोजित रूफटॉप परियोजना की स्थापना हेतु नोडल एजेन्सी होगी तथा नोडल एजेन्सी यूपीनेडा द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों में थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हेतु स्थापना की मांग को सक्रियता से एकत्रित किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा माडल अनुबन्ध एवं स्टैण्डर्ड पीपीए तैयार किया जायेगा तथा टैरिफ का निर्धारण एवं रेस्को का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग द्वारा किया जायेगा।

12. नीति के तहत राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, राज्य वित्त पोषित संस्थान, राज्य सरकार के निगम तथा वैधानिक संस्थाओं इत्यादि पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना रेस्को से किये जाने की स्थिति में नेडा द्वारा भुगतान सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु फण्ड की व्यवस्था बजट से की जायेगी।

13. नीति में उल्लिखित प्राविधानों के तहत निजी आवासीय क्षेत्रों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना पर रु. 15,000/- प्रति किलोवाट अधिकतम रु. 30,000/- प्रति उपभोक्ता राज्य अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान अवमुक्त करने हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी तथा वर्ष में लक्षित अनुदान धनराशि वितरण हेतु बजटीय प्राविधान कराया जायेगा एवं उक्त से फण्ड प्राप्त किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना कमिशनिंग उपरांत समस्त अभिलेखों को प्राप्त करने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में यह अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदान प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह अनुदान धनराशि प्रथम 100 मेगावाट तक ही राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। यूपीनेडा द्वारा उक्त राज्य अनुदान की धनराशि अवमुक्त करने हेतु आन लाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अनुदान निर्गत करने की प्रणाली विकसित की जायेगी। यूपीनेडा द्वारा उक्त राज्य अनुदान धनराशि निजी उपभोक्ताओं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रूप में देय होगी।

14. नीति के तहत उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा समस्त प्रकार की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं हेतु आन-लाईन एकल विण्डो किलेयरेंस प्रणाली विकसित करते हुए एकल विण्डो किलेयरेंस प्रदान करने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जायेगा। एकल विण्डो के रूप में उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा प्रदेश सरकार में यथा आवश्यक अनुमति, अनापत्ति अनुमोदन तथा सहमति आदि प्राप्त करने में परियोजना विकासकर्ताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा आनलाईन एकल विण्डो किलेयरेंस प्रणाली विकसित करने और उक्त के कतिपय कार्य आवश्यकतानुसार अनुमोदन प्राप्त कर आउटसोर्सिंग द्वारा किये जायेंगे। इस हेतु वांछित धनराशि शासन द्वारा एक मुश्त अवमुक्त की जायेगी और यूपीनेडा द्वारा उक्त धनराशि उपभोग प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित/विकसित एवं क्रियान्वित की जाने वाली सोलर पावर परियोजनाओं का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा और यथा

आवश्यक उक्त परियोजनाओं पर उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन एवं मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।

16. बिडिंग प्रक्रिया के प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा द्वारा बिडिंग के द्वारा परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया जायेगा तथा यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की भी स्थापना की जायेगी। बिड प्रक्रिया प्रबन्धन परामर्शदाताओं एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापना सम्बन्धित देय शुल्क एवं बिड प्रक्रिया पर होने वाले वास्तविक व्यय को "सौर स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना" की मद में व्यवस्थित धनराशि से शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा, जिससे भुगतान यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा।

17. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सौर पावर परियोजनाओं पर उपलब्ध कराये जा रहे प्रोत्साहन जैसे कस्टम ड्यूटी में छूट आदि भी परियोजना विकासकर्ताओं को नीति के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।

18. नीति के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध एवं विकास के सम्बन्ध में शोधकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने एवं निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विश्वसनीयता एवं भारतीय परिस्थितियों विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनुकूलता सम्बन्धित बिन्दुओं पर शोध हेतु राज्य सरकार के व्यय से 02 संस्थान/विश्वविद्यालयों में सोलर टेस्टिंग एवं मानकीकरण सुविधाओं की स्थापना की जायेगी।

19. सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत यूपीनेडा द्वारा भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोलर इनर्जी (एनआईएससी) के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण किये जायेंगे और नीति की संचालन अवधि में 10000 सूर्य मित्र तैयार किये जायेगे।

20. नीति के अन्तर्गत सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लांट को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रम में निम्न विशिष्ट प्रयोजन हेतु प्राप्त होगा :-

(i) सौर ऊर्जा स्रोतों की इकाईयों की स्थापना हेतु प्रयुक्त स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट होगी।

(ii) इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट होगी।

(iii) परियोजना विकासकर्ता द्वारा लोकहित में सौर विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना के लिए 5.058 हेक्टेयर से अधिक क़य की गयी भूमि को लैंड सीलिंग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

21. कृपया उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत सौर ऊर्जा नीति-2017 का क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही तत्परता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या 106 (1)/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन ।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन ।
4. महालेखाकार (प्रथम) उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
10. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से

(संगीता सिंह)
विशेष सचिव ।